प्रकाशक,
रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुमान—3
लखनऊ दिनांक 01 जुलाई 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला समाज कोष के अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर के रूप में चिकित्सकों के प्रशिक्षण के संबंध में।

महोदय,
उक्त के क्रम में अवगत करता हूँ कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्साध्विकारियों का दो दिनों का प्रशिक्षण दिनांक 3-4 जुलाई, 2015, 10-11 जुलाई, 2015 तथा 20-21 जुलाई, 2015 की अवधि में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–पीए–59/सामो/2015/पीए–232 दिनांक 26.06.2015 का संदर्भ उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण पर होने वाले कुल व्यय सू0-1,28,470/- का विवरण प्रेषित किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई महिला समाज कोष नियमांकन (द्वितीय संशोधन)–2015 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा कोष धनराशि का एक प्रतिशत प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्तन (कैपिस्टी विलिंग) हेतु प्राविधिकता किया गया है। अतः नियमानुसार रानी लक्ष्मीबाई महिला समाज कोष के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से प्रस्ताव प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय सू0-1,28,470/- का मुख्तार निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ को कराये जाने का कदंब करें।

संदेश—यथोक्त।

भवदीया,
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–1281(1)/60–3–2015 तद्दिनांक
प्रशिक्षणे निम्नलिखित को सूचनाथ्यों एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1. प्रबंध निदेशक, महिला कल्याण निम्न, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि प्रशिक्षण हेतु
आवश्यक व्यवस्थायें यथा—बैनर, बैकग्राउंड, प्रशिक्षण हेतु अध्ययन सामग्री इत्यादि को सुनिश्चित कर जाने का कष्ट करें। उक्त कार्यों का भुगतान निदेशक, महिला कल्याण द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
3. कोष कार्यालय को कोष कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गाइड काउंसल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।